

अल्लाह के नाम से  
से जो बड़ा रहम  
करने वाला है

# अल - फुर्कान

## मौलाना सय्येद मुहम्मद रिज़वी

के कार्यालय से एक द्वि-साप्ताहिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ पत्र

या अल्लाह, मोहम्मद  
और आले मोहम्मद पर  
अपनी रहमतेँ नाजिल  
फरमा

### बुनियादी उपवास गाइड

## रौज़ा में जो चीज़ें मना हैं, (मुफ़'तिरातु स्वाम)

#### 1. मुंह और सर से संबंधित

- 1 और 2 खाना और पीना
3. जान बूझ कर धूल का गुबार या धुंआ हलक के अंदर जाने देना
4. जान बूझ कर मितली (कै) करना
5. अपनी पूरा सर पानी के अंदर डुबोना<sup>1</sup>

#### 2. शरीर के निजी भागों से संबंधित

6. संभोग
7. जानबूझ कर फज़ के समय तक जनाबत<sup>2</sup> के हालत में रहना

अगर कोई शख्स जुनुब<sup>3</sup> जो जाता है, और सो जाता है:

(१) जानबूझ कर फज़ तक गुस्ल न करने की नियत से = रौज़ा बातिल है

(२) फज़ तक गुस्ल करने की नियत से

(अ) और वोह फज़ से पहले उठ नहीं पाता = रौज़ा सही है

(ब) और उठ कर फिर फज़ तक सोता रह जाता है = रौज़ा + दो कज़ा<sup>4</sup> रौज़ा

(स) और दो बार फज़ के पहले उठता है और फिर फज़ तक सोया रह जाता है = रौज़ा + दो कज़ा + कफ़ारा<sup>5</sup>  
एहतियात है

इसी तरह से वोह औरतें जिनके हैज़ या निफास का वक़्त ख़तम हो चुका है, और खून आना बंद हो चुका है लेकिन वोह फज़ के पहले गुस्ल नहीं करती या ऊपर लिखे अनुसार भूल जाती या टाल जाती हैं तो कज़ा या कफ़ारा या दोनों वाजिब और एहतियात होगा! अगर उनके नींद खुल जाती है और गुस्ल का वक़्त नहीं है तो फज़ से पहले कम से कम तय्युम कर सकती हैं !

8. कोई ऐसा काम करना जो वीर्य छूटने का कारण बने
9. तरल एनिमा का इस्तेमाल करना

#### 3. नैतिक

10. बहुत बड़े किस्म का किज़ब (झूट) बोलना : अल्लाह, मोहम्मद (स अ व व) और इमाम (अ:स) से लगा कर कोई झूटी बात कहना - रोज़े को बातिल कर देता है

नोट : अगर कोई शख्स जान बूझ कर कोई भी मुफ़्तिरात करता है तो उसका रौज़ा बातिल हो जाएगा, लेकिन अगर यह जान बूझ कर नहीं किया गया है और अनजाने या गफलत की हालत में होता है तो उसका रोया सही है!

1. अयातुल्लाह सिस्तानी के कानून से सर को पानी में डुबोना मना तो नहीं पर इन्तेहाई ना-पसंदीदा है
2. जनाबत - कानूनी सम्भोग द्वारा निकले वीर्य की हालत को कहते हैं, जिस से इंसान नजिस हो जाता है
3. जुनुब का मतलब गुसले जनाबत का वाजिब होना होता है
4. कज़ा का मतलब रमज़ान के बाद उसके लिए वैसे ही रौज़ा रखना है
5. कफ़ारा अर्थात दंड

# वो लोग जिन पर रोज़ा न रखने की छूट है

1. एक बूढ़ा शख्स जो या तो रोज़ा नहीं रख सकता है या रोज़ा उस के लिए काफी तकलीफदेह हो ऐसे लोगों के लिए कोई क़ज़ा नहीं है लेकिन इन लोगों को **फिदया** देना लाजिम है (फिदया काफ़फ़री से अलग है, फिदया मुआवज़ा है जबकि कफ़फ़ारा दंड है) हर एक दिन के लिए फिदया 750 ग्राम गेहूं या चावल है, लेकिन अगर 1.5 किलोग्राम दिया जाए तो बेहतर है
2. ऐसा शख्स जिस की चिकित्सा हालत (मेडिकल कंडीशन) उसको रोज़ा के कारण प्यासा न रहने दे जैसे डायबेटीज़ का मरीज़ अगर इंसान बीमारी से ठीक हो जाए तो उस पर वाजिब है के वोह **क़ज़ा** रोज़ा रखे लेकिन अगर उसके बीमारी से ठीक होने की उम्मीद कम है तो उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है लेकिन ऐसे लोगों हर दिन रोज़ा न रखने के बदले **फिदया** देना होगा
3. गर्भवती या नर्सिंग महिलाएं : अगर रोज़ा उसका या बच्चे की सेहत पर असर करता हो तो ऐसी औरतों को **क़ज़ा** रखना होगा और **फिदया** भी देना होगा

## मुसाफिर का (यात्री) रोज़ा

अगर कोई **मुसाफिर** दस दिन के लिए एक शहर में रहे तो वोह रोज़ा रख सकता है, लेकिन अगर वो एक शहर में दस दिन से कम रहेगा तो वो रोज़ा नहीं रख सकता है और उसको इन छूटे हुए रोज़ों की रमज़ान के बाद क़ज़ा रखनी होगी

लेकिन "लगातार सफ़र में रहने वाले" अपना रोज़ा सामान्य ढंग से रखेंगे ! लगातार सफ़र में रहने का मतलब उन शख्सों से है

1. जिनका काम सफ़र के मुताल्लिक है जैसे ड्राइवर, पाईलट इत्यादि
2. जिनके कामों में सफ़र करने की बहुत ज़रूरत है जैसे सेल्समेन, सलाहकार जिनको अपने ग्राहक के पास जाना होता है, निर्माण से संबंधित लोग इत्यादि
3. जिसका दफ़्तर उसके घर / शहर से 24 मील के फासले से ज़्यादा है

## रमज़ान की विशेष नफिल नमाज़ें

विशेष नफिल नमाज़ें इस तरह से पढ़ी जा सकती हैं

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| 1- 20 दिन -    | → | 20 रक्अत ( 2 रक्अत X 10) रोज़ाना रात को      |
| 19, 21 और 23 - | → | 100 रक्अत (2 रक्अत X 50) तीनों दिन की शाम को |
| 21 से 30 -     |   | 30 रक्अत (2 रक्अत X 15) सारी दस रातों को     |

रमज़ान के विशेष नफिल की कुल संख्या 1000 रक्अत है! परन्तु इसे ध्यान में रखें की ये सारी नफिल नमाज़ें शिया फ़िक़ह के मुताबिक ब-जमाअत नहीं हो सकती हैं और इन्हें फ़रादा (अलग अलग) पढ़ना होगा

रसूल अकरम (स अ व व) ने फरमाया, " मैं तुम्हे तुम्हारे घर में नमाज़ों की सिफारिश करता हूँ, क्योंकि सबसे बेहतर नमाज़ घर में होती है सिवाए उसके जो वाजिब हो"

# रोज़ा और दवाओं का इस्तेमाल

जब बदन के अंदर  
दाखिल हो

मुंह के ज़रिये

(जैसे खाना या पानी = रोज़ा बातिल हो जाएगा)

आज़मा (अस्थमा या दम्मे) के मरीज़ को पफ़ इस्तेमाल करने से  
रोज़ा सही है

अगर इसका इस्प्रे सांस की नली तक हो और खाने की नली में न  
जाए

खाना या पानी (खाने की नली) = रोज़ा  
बातिल हो जाएगा

(लेकिन पानी का चढ़ाना नसों में जाएज़ है)  
अगर बीमार हो

किसी दूसरे रास्ते  
या तरीके से

दवा (जैसे नाक में या आँख में डालने वाली  
या इंजेक्शन<sup>1</sup>) = रोज़ा सही है

नोट : जब रोज़ा किसी बीमारी की वजह से बातिल हो जाता है तो उस शख्स पर सिर्फ  
क्रज़ा वाजिब है, और कोई कफ़ारा नहीं है

<sup>1</sup>तरल एनिमा के अलावा, नहीं तो रोज़ा बातिल हो जाएगा

[www.IslamInHindi.org](http://www.IslamInHindi.org) द्वारा हिंदी में प्रस्तुत

कृपया अपना सुझाव [syedjnaqvi@gmail.com](mailto:syedjnaqvi@gmail.com) पर लिखें